

सं 26020/2/2011 सा प्रशा  
भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय  
सामान्य प्रशासन अनुभाग

कमरा सं 74, उद्योग भवन  
नई दिल्ली 110107

दिनांक 13/05/2011

### निविदा सूचना

विषय :- वर्ष 2011-2012 के लिए डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने हेतु निविदा सूचना

इस्पात मंत्रालय वर्ष 2011-2012 के लिए मासिक भुगतान आधार पर, जब कभी आवश्यक हो, डी एल वाई वाताुकूलित/गैर वाताुकूलित कारों को किराए पर लेने का इच्छुक है। उद्योग भवन के 5-6 कि.मी. के दायरे में आने वाले इच्छुक टैक्सी प्रचालक अवर सचिव (सा प्रशा), इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110107 को सम्बोधित लिफाफा जिस पर **“इस्पात मंत्रालय के लिए कारों को किराए पर लेने हेतु निविदा”** लिखा हो, **24/5/2011 को अपराह्न 11.00 बजे तक** संलग्न अलुगक में सील बंद निविदा प्रेषित करें। निविदा वाला लिफाफा उद्योग भवन, नई दिल्ली के स्वागत अधिकारी के नजदीक रखे निविदा बॉक्स में डाला जाना जा सकता है। पत्राचार के माध्यम से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 15,000/- रुपए (पन्द्रह हजार रुपए मात्र) की बयाना राशि संलग्न होनी चाहिए। मंत्रालय के पास निविदा को बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

2. मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाने वाली कारें अच्छी हालत में होनी चाहिए और 2009 मॉडल के पहले की नहीं होनी चाहिए तथा किराए पर लिए जाने की तारीख को 35,000 कि मी से अधिक नहीं चली होनी चाहिए तथा उसमें समुचित गहियां और सहायक साजो-समान, स्टीरियो आदि लगे होने चाहिए। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य संबंधित दस्तावेज हाने चाहिए।

3. यदि कोई फर्म किसी मंत्रालय/विभागों को पहले से ही वाहन उपलब्ध करा रही है, तो तत्संबंधी ब्योरा भी निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाना चाहिए।

4. निविदा को भेजते समय निम्नलिखित बातों एवं शर्तों को ध्यान में रखा जाए :-

- i) किराए पर ली जाओ वाली टैक्सी के मीटर तथा समय की शुरुआत की गणना तथा टैक्सी को छोड़ते समय किलोमीटर तथा समय की समाप्ति की गणना उद्योग भवन, नई दिल्ली से की जाएगी।
- ii) उद्धृत दरें निविदा अवधि के लिए वैध होंगी जिसे आगे और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्णय लिया जाता है।
- iii) **ये दरें अलुगक 1 पर विहित प्रारूप में ही उद्धृत होनी चाहिए अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- iv) इस मंत्रालय में संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ड्यूटी स्लिपों द्वारा विधिवत समर्थित बिल के प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाएगा।
- v) चालकों को दिल्ली/नोएडा/गाजियाबाद/गुडगांव के मार्गों से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए तथा अच्छी बर्दा पहननी चाहिए और उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए।
- vi) तैनात किए जाने वाले चालकों का चरित्र समुचित रूप से सत्यापित होना चाहिए तथा उनके ब्यौरें इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाने होंगे। चालक के बदले जाने के मामले में पूर्वानुमति लेना अपेक्षित होगा।
- vii) ब्रेकडाउन की स्थिति में फर्म को सूचित किए जाने पर आधे घंटे के भीतर दूसरी कार उपलब्ध करानी होगी।
- viii) वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मासिक आधार पर वाहना की जरूरत होगी। किसी विशिष्ट वाहन की मासिक विशेष दर अथवा दैनिक दर पर कोई रियायत दी जाए, तो इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए।

- ix) फर्म का लैंडलाइन्/मोबाइल नम्बर मंत्रालय को उपलब्ध कराएं ताकि उससे अथवा उसके प्रतिनिधि से किसी भी समय (24 घंटे) संपर्क किया जा सके । चालक के पास भी मोबाइल फोन होना अनिवार्य हैं ।
- x) वाहन के दुर्घटाग्रस्त होने तथा किसी अन्य पक्ष को हुई क्षति की स्थिति में सारा दायित्व फर्म का होगा ।
- xi) सामान्यतः आपूर्ति किए जाते वाले वाहन फर्म/स्वामी/साझेदार के नाम पंजीकृत होनी चाहिए ।
- xii) सफल बोली दाता से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पांच दिनों के भीतर मंत्रालय को दी जाने वाली प्रस्तावित कारों से संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज, प्रदूषण, परमिट आदि प्रस्तुत करें ।
- xiii) सफल बोली दाता को 15,000/- रुपए (पन्द्रह हजार रुपए मात्र) बैंक ड्राफ्ट वेतन एवं लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय के पक्ष में नई दिल्ली में भुगतान जमा कराना होगा । संविदा के सफलता पूर्वक पूरा होने पर जमा राशि वापसी योग्य हैं । फर्म द्वारा चूक किए जाते अथवा असंतोषप्रद सेवा देते पर जमा राशि जब्त कर ली जाएगी ।
- xiv) किसी भी समय बिना कोई कारण बताए आबंध को रद्द करने/वापस लेने का अधिकार मंत्रालय के पास सुरक्षित रहेगा ।
- xv) निविदा को आनुभाग अधिकारी (सा प्रशा), इस्पात मंत्रालय, कमरा सं 74, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110107 में 24/05/ 2011 को अपराह्न 11.30 बजे फर्म के मालिक/उसके प्रतिनिधियों में से जो भी उपस्थित होना चाहे के समक्ष खोला जाएगा ।

A. वैधीश्वर  
13/5/11  
(जी वैधीश्वर)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष 2306 3807

भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी मंत्रालय/विभाग । अनुरोध है कि इस टेंडर नोटिस को अपने द्वारा इस कार्य के लिए लगाई गई फर्म के बीच पूरा प्रचार-प्रसार दिया जाए कि इच्छुक तथा शर्तों को पूरा करने वाली फर्म अपनी निविदा प्रस्तुत करें ।

एन आई सी, इस्पात मंत्रालय - अनुरोध है कि इस मंत्रालय के web portal पर डालें । भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी मंत्रालय/विभाग ।

**A) Daily Charges (Minimum) in Rs.**

Sl. No.	Period	Hrs.	Kms	Tata Indica/ Maruti Wagon R Non AC	Tata Indica / Maruti Wagon R AC	Indigo CS/ Manza	Swift Dezire /Sx4
1.	Full Day	10	100				
2.	Rate of extra per Km						
3.	Rate of extra per hrs.						

**B) Monthly Charges (Minimum) in Rs.**

Sl. No.	Period	Hrs.	Kms	Tata Indica/ Maruti Wagon R Non AC	Tata Indica / Maruti Wagon R AC	Indigo CS/ Manza	Swift Dezire /Sx4
1.	Full Day	300	3000				
2.	Rate of extra per Km						
3.	Rate of extra per hrs.						